वाणिज्य अ.ज.-602

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र. /अ.वि.वि.नि.लि. /मु.अ.(वाणिज्य) /अ.अ.-II /2015-16 /प्रे 8839 दिनांक 18-3-16

आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि कृषि श्रेणी में आवेदकों से नये कनेक्शन एवं अन्य कार्यो जैसे लोड बढाना / घटाना, नाम परिवर्तन, रि-कनेक्शन आदि के लिये धरोहर राशि अलग-अलग ली जा रही है जो कि विद्युत आपूर्ति की शर्ते एवं निबंधन - 2004 के अनुरूप सही नही है।

विद्युत आपूर्ति की शर्ते एवं निबंधन-2004 के प्रावधानों के अनुरूप नये कृषि कनेक्शन के समय प्रोविजनल धरोहर राशि 2 माह के स्थाई शुल्क के बराबर निर्धारित हैं जो वर्तमान में ब्लॉक सप्लाई के लिये 15 रू. प्रति एचपी प्रतिमाह एवं अन्य के लिये 30 रू. प्रति एचपी प्रतिमाह है। अतः यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में नये कृषि कनेक्शन एवं अन्य कार्यो जैसे लोड बढाना / घटाना, नाम परिवर्तन, रि-कनेक्शन आदि के लिये प्रोविजनल धरोहर राशि विद्युत आपूर्ति की शर्ते एवं निबंधन-2004 के प्रावधानों के अनुरूप ही वसूल की जावें।

सभी सम्बन्धित उपरोक्त आदेशों की पालना सूनिश्चित करें।

(बी.एम.भामू)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
अजमेर डिस्कॉम, अजमेर